



## जनपद हमीरपुर

थाना चिकासी

दिनांक 15.09.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा 11 पेटी अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

### पुलिस कार्यवाही-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 15.09.2026 को आबकारी विभाग व थाना चिकासी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा श्रीकान्त पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्राम बंधौली, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर को बंधौली पुलिस बहद ग्राम बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0-89/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

श्रीकान्त पुत्र चन्द्रशेखर (उम्र करीब 40 वर्ष) निवासी ग्राम बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

### बरामदगी-

11 पेटी अवैध देशी शराब (ब्राण्ड मस्तीह व बिन्डींज)

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0-69/2026 धारा-115(2),351(3),352 बीएनएस व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST एक्ट।
2. मु0अ0सं0-71/26 धारा-60 आबकारी अधिनियम
3. मु0अ0सं0-89/26 धारा-60 आबकारी अधिनियम

### गिरफ्तारी का स्थान-

बंधौली पुलिस, ग्राम बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

### पुलिस टीम-

1. निरीक्षक कुलदीप सिंह (आबकारी विभाग)
2. उ0नि0 रामकिशोर यादव (थाना चिकासी)
3. का0 वकीम खान (आबकारी विभाग)
4. का0 अबुलहाफा (आबकारी विभाग)
5. का0 महेन्द्र कुमार (थाना चिकासी)
6. का0 गिरेन्द्र सिंह (थाना चिकासी)

